

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

जीरो पाइंट, विधान नगर, रायपुर 492005

क्रमांक 827 /छगविस/स्था./2018

रायपुर, दिनांक ...अक्टूबर, 2018

भृत्य के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन

- (1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के अधीन भृत्य के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान (वेतन मेट्रिक्स/ लेवल)
		अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	भृत्य	2	-	7	-	-	-	2	-	-	09	15600-49400 लेवल 1

महत्वपूर्ण टीप :-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- यह विज्ञापन सचिवालय के भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
- उपरोक्त विज्ञापित पद के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटीशन-सी क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश /निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पद की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय/मूल निवासी होना चाहिए।
- रिक्तियों में आरक्षण –
 - उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 5 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।
 - छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।
- परीक्षा योजना परिशिष्ट - एक पाठ्यक्रम परिशिष्ट - दो एवं ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट - तीन में उल्लेखित है।
- ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी

अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/ चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण एवं वेतनमान :-

- i. पद नाम : भृत्य
- ii. श्रेणी: चतुर्थ श्रेणी
- iii. वेतन /वेतन मैट्रिक्स लेवल : 15600 - 49400 लेवल 01

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

- iv. परिवीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(3) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं -

- (i) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण।

(4) निर्धारित आयु सीमा :- अभ्यर्थी की आयु सीमा दिनांक 01.01.2018 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो, उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-

- I. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- II. छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- III. ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण - "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
- IV. ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिका सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- V. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- VI. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायतकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।
- VII. स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- VIII. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।
- IX. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3-1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

- X. राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- XI. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप :-

- i. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर दिनांक 23.01.2017 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे - छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- ii. आयु की गणना दिनांक - 01.01.2018 के संदर्भ में की जाएगी।

(5) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(6) वांछित दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना - वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली मेरिट आधार पर तैयार की गयी सूची में नाम हो, को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जायेगी।

- I. आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतया हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टीफिकेट अथवा तत्समय अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- II. विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित समस्त वर्ष की अंकसूची।
- III. पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा स्नातक एवं अन्य अर्हता जो संबंधित पद के लिये आवश्यक है, की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र सचिवालय को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गयी योग्यता / अन्य प्रमाण - पत्र मान्य नहीं किया जायेगा

IV. जाति प्रमाण पत्र -

- a. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- b. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों के अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मान्य नहीं किया जाएगा।
- c. यदि निर्धारित उच्चतर आयु - सीमा में छूट चाही गयी है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
1. तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण - पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
 2. विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii) 4(iv) एवं 4(vii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण - पत्र।
 3. विज्ञापन की कंडिका 4(viii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण- पत्र।
 4. विज्ञापन की कंडिका - 4(ix) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
 5. विज्ञापन की कंडिका 4(x) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये "शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।
 6. विज्ञापन की कंडिका - 4(xi) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण पत्र।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

- i. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम /मण्डल /उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत /अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं परन्तु ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" सीधे सचिवालय को भेजने का निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(8) आपराधिक अभियोजन :-

- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे सचिवालय ने निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो -

- i. जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिये परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो या
- ii. पररूप धारण (इम्पर्सोनेशन) किया हो या
- iii. किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- iv. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- v. चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- vi. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- vii. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- viii. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या
- ix. प्रवेश -पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गयी किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- x. परीक्षा कक्ष में किसी अन्य तरीके से दुर्यवहार किया हो, या
- xi. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी -

- i. सचिवालय द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिये वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
- ii. उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा -
 - a. सचिवालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
 - b. राज्य शासन द्वारा या /उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा और
 - c. यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किये गये उल्लंघन के लिये उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि

- i. अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- ii. अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) अनर्हता :-

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-

- i. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हों, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- ii. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाय, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने में किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाय।

परन्तु अपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया हो तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

- iii. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाय, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाय कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

- iv. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

- v. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(10) चयन प्रक्रिया -

विज्ञापित पद पर चयन के लिये निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। सचिवालय द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
टीप :- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जायेगा -

- i. उम्मीदवारों का चयन परिशिष्ट - एक में उल्लेखित परीक्षा योजना के माध्यम से किया जायेगा।
- ii. पाठ्यक्रम परिशिष्ट - दो में प्रकाशित है।
- iii. लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र रायपुर होगा।


(11) आनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :-

- i. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन के लिए रुपये 200/- (रुपये दो सौ), अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिए रुपये 250/- (रुपये दो सौ पचास) तथा अनारक्षित श्रेणी के लिए रुपये 350/- (रुपये तीन सौ पचास) आवेदन शुल्क देय होगा।

(12) यात्रा व्यय का भुगतान :-

- i. छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्वयं के द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकट किराया दिया जायेगा।

- (13) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation) :-** इस विज्ञप्ति में लिखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार सचिवालय का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा एवं सचिवालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।


संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

परिशिष्ट - एक

"परीक्षा योजना"

(1) अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार किया जायेगा :-

i. चयन हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जायेगा :-

वस्तुनिष्ठ परीक्षा - 50 अंक

(भाग - 1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान)

ii. अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

(2) वस्तुनिष्ठ परीक्षा :-

i. परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

ii. परीक्षा के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 04 संभावित उत्तर होंगे जिन्हें A,B,C,D में समूहीकृत किया जायेगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये A,B,C,D में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

* किसी प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी।

(3) पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट - दो में दी गयी है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में होगा।

परिशिष्ट - दो

"पाठ्यक्रम"

भाग - 1 :: छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान::

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान ।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाये ।
3. छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति ।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्यौहार ।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि ।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज ।
7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन ।
8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं ।

PART-1 ::GENERAL KNOWLEDGE OF CHHATTISGARH::

1. History of Chhattisgarh and contributions of Chhattisgarh in freedom struggle.
2. Geography, water, mineral resources, climate and physical conditions.
3. Literature, music, dance, art and culture of Chhattisgarh.
4. Tribals, dialects, teej and festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, forest and agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative structure of Chhattisgarh, local government and Panchayati Raj.
7. Human resources and energy resources in Chhattisgarh.
8. Education, health and contemporary events in Chhattisgarh.

परिशिष्ट - तीन

"ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी"

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार है :-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं विधान सभा सचिवालय की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से देने हेतु सचिवालय बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
- (2) अभ्यर्थी स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
- (3) ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश :- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउण्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में सचिवालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (4) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाय।
- (5) सचिवालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है यह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।
- (6) ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले Page पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ-साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त Page पर उपलब्ध Print को क्लिक कर आवेदन की रसीद का प्रिंट आउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर Payment Status में भुगतान की स्थिति के सामने Success अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर सचिवालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- (7) परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट :-

- i. आवेदक रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें।
- ii. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- iii. किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा सचिवालय को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

- iv. कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य सायबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- v. ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जायेगी।

प्रवेश पत्र

- (1) प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किये जायेंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जायेगी।
- (2) प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे अपितु केवल सचिवालय की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब कि उसके पास सचिवालय द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।
- (4) अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्रायविंग लायसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे - पट्टा, पंजीकृत डिडस/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (5) यदि प्रवेश पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर जांच अधिकारी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।